

किस्म.....

उनवान.....

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

क्रमांक

५/४/२५ पत्रावली पेश हुई। बाए-बाए आवाज
दिलाने के उपरान्त भी वादीयां एवं उनके अधिकार
उप-नहीं हुए। इसलिए मु० नं. १२५५/२०२०
उनवानी सुफेडी बनाम सुफेडी शका वावर
घोषणा खातेदारी, इन्द्राज डुरुस्ती एवं
स्थाई निषेधाज्ञा आइम फेरवी अफम हाजरी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल
सुभाट होम बाद तमसील नम्बर से कम
की जाकर दाखिल फरत है।
आदेश छुले मामालय में सुनाया

गमा/१२

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)